कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री गोपीराम अग्रवाल आर0टी0आई0 रिसर्च सेन्टर बांसवाडा राजस्थान।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलक्टर) दौसा, जिला दौसा
अपील सं0 35/2020

<u>निर्णय</u> दिनांक : 08.09.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (अति0जिला कलेक्टर) दौसा, जिला दौसा को सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(4) के अन्तर्गत चाही गई सूचना भिजवाने हेतु पत्रांकः आरटीआई/2020/576 दिनांक 27.07.2020 द्वारा प्रभारी अधिकारी, (राजस्व शाखा) कलेक्ट्रेट, दौसा को प्रेषित किया गया। किन्तु प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। जिससे पीडित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलक्टर) दौसा को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं संलग्नक की छाया प्रति पत्रांकः डी0एम0 /कोर्ट /आरटीआई/2020/1471 दिनांक 21.08.2020 द्वारा प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, (अति0 जिला कलक्टर) दौसा ने अपने पत्रांक 699 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा अवगत करवाया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट दौसा से प्राप्त होने पर पत्र क्रमांक आरटीआई/2020/698 दिनांक 02.09.2020 द्वारा आवेदक को प्रेषित की गई है। उक्त पत्रांक 698 दिनांक 02.09.2020 की छायाप्रति पत्रावली मे संलग्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा